



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027  
Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036/28/76/एक/2018-19  
सेवा में,

दिनांक : 04 जनवरी 2019

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,  
जिला नगरीय विकास अभिकरण  
जनपद-लखनऊ।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण  
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
आई०डी०बी०आई० बैंक	0277104000181624	IFSC Code IBKL0000277	168.206

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 12 मो० देवी खेड़ा बस्ती में वासुदेव सिंह के घर से नन्दजीत सिंह के घर एवं शिव मन्दिर के पीछे की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	19.929
2	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 12 मो० देवी खेड़ा बस्ती में पुराना शिव मन्दिर से ईश्वर सिंह के घर तक की गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	7.696
3	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 12 मो० देवी खेड़ा बस्ती में पुरुषोत्तम के घर से राधादेवी के घर तक गलियों में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	6.904
4	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 12 मो० देवी खेड़ा बस्ती में म०सं० 558/178 से राजू के घर एवं साथ की गली में इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	5.596
5	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 50 मो० बलदेव विहार में शंकर के घर से राजभान सिंह घर, कृपाल सिंह रावत के घर से भगवान सिंह, अवरथी से प्रवीन खंतवाल के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	23.435
6	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 50 मो० बलदेव विहार (बृज विहार) बस्ती में रीतू मौर्या के घर से राज बहादुर, राज बहादुर के घर से आर०बी० गोस्वामी, राम कृपाल से पृथ्वी शर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	25.428
7	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड नं० 50 मो० बलदेव विहार (बृज विहार) बस्ती में राज कुमार से मारुफ, विनोद तिवारी के घर से जगदेव के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	11.815



250/2

# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
8	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड न० 50 मो० कुम्हार मंडी बस्ती में आदित्य के घर से राजेन्द्र सहाय, रमेश शुक्ला के घर से पी०सी० यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	9.484
9	लखनऊ	मु०अ०-37	न० नि० लखनऊ	वार्ड न० 50 मो० कुम्हार मंडी बस्ती में श्याम सुन्दर मिश्रा के घर से रोली, मदन से रमन, प्रशान्त सिंह से पानू एवं आर०डी० गुप्ता के घर से विमल यादव के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	10.632
10	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	लालकुवां वार्ड के अन्तर्गत मो० लालकुवां मुख्य मार्ग से पीला मन्दिर से जलाउद्दीन के मकान तक इण्टरलॉकिंग का कार्य।	8.514
11	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	आलम नगर वार्ड के अन्तर्गत डिप्पा खेड़ा में राम विहार रोड पर परचून की दुकान से राजेन्द्र कुमार के घर तक, प्रेमचन्द्र के घर से हनुमान मन्दिर तक, सुनील के घर से शेखर के घर होते हुए शंकर जी के मन्दिर तक नाली व इण्टरलॉकिंग का कार्य।	14.155
12	लखनऊ	मु०अ०-37	न०नि० लखनऊ	चित्रगुप्त नगर वार्ड न्यू इन्द्रपुरी कॉलोनी में रिकू शुक्ला के मकान से दुर्गेश यादव के मकान होते हुए मंगला सिंह के मकान तक झूरी लाला के मकान से काली यादव के मकान तक नाली इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	9.173
13	लखनऊ	म०ब०-83	न०नि० लखनऊ	अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत आर०पी०सी० स्टेडियम के पास मेन रोड से रानी के मकान तक, योगेश मिश्रा से कल्लू साहू तक तथा वीरेन्द्र वाली गली व शशिकान्त की गली में इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	15.445
	योग				168.206

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जाये उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

✓



# राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि झूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक

## पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निर्देशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)  
वित्त नियन्त्रक